UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 10.05.2026

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव।

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.04.2026 को वादी प्रेम पुत्र सुरेश निवासी मोहिखेडा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव की तहरीर पर थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 216/2026 धारा 115(2)/ 352/ 351(3)/ 105 BNS पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 10.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिवकुमार उर्फ गंगू पुत्र रमेश निवासी मोहीखेड़ा कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष को गंदा नाला पुलिया सफीपुर उन्नाव रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवकुमार उर्फ गंगू पुत्र रमेश नि0 मोहीखेड़ा कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष सुव्रत नारायण

उ0नि0 योगेन्द्र प्रताप सिंह

का0 राघवेन्द्र गुर्जर

का0 समरबहादुर सिंह

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 10.05.2026

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव।

फर्जी विक्रेता बनकर जमीन बेचने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा फर्जी विक्रेता बन कर जमीन बेचने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 15.04.2026 को वादी श्रीराम पुत्र रामस्वरुप निवासी गढीथोक हिलौली थाना मौरावां जनपद उन्नाव की तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/26 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/337/338/340(2) BNSबनाम 01.शिवम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी निवासी ग्राम बरदहा थाना मौरावां उन्नाव 02. गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी मोहल्ला केशी ग्राम हिलौली थाना पुरवा उन्नाव 03.मदारी पुत्र अयोध्या निवासी शंकरबक्सखेडा म0 हिलौली थाना मौरावां जनपद उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। वादी मुकदमा द्वारा लगभग 40 वर्ष से गाटा सं0 2303 रकबा 0.2400 हे. स्थित ग्राम हिलौली, तहसील पुरवा जनपद उन्नाव की भूमि को जोत बो रहा था। उक्त भूमि शिवराम पुत्र शिवदीन के नाम दर्ज थी, शिवदीन का 35-40 वर्षों से कुछ पता नही चला है, उनके कोई वारिस भी नहीं था। इसकी जानकारी होने पर उपरोक्त भूमि का शिवम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी निवासी ग्राम बरदहा थाना मौरावां उन्नाव व गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी मोहल्ला केशी ग्राम हिलौली परगना व तहसील पुरवा उन्नाव द्वारा फर्जी बैनामा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके शिवराम के स्थान पर मदारी पुत्र अयोध्या निवासी शंकरबक्सखेडा मो0 हिलौली को शिवराम बनाकर खड़ा करके क्रेतागण शिवम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी निवासी ग्राम बरदहा थाना मौरावां उन्नाव व गुलनाज पत्नी मो0 इस्लाम उर्फ पुत्तन दादा निवासी मोहल्ला केशी ग्राम हिलौली परगना व तहसील पुरवा उन्नाव द्वारा दिनांक 26.12.2024 को उक्त बैनामा फर्जी विक्रेता बनकर गुरूप्रसाद द्वारा करा दिया गया। जिसका दाखिल खारिज भी करा लिया था तथा अभियोग में धारा 61(2) BNS 2023 की बढोत्तरी साक्ष्य संकलन के आधार पर की गई। विवेचना में गुरूप्रसाद पुत्र नन्हक्कऊ निवासी

मो0 खागा थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 50 वर्ष का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त गुरूप्रसाद पुत्र नन्हक्कऊ निवासी मो0 खागा थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालाय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गुरूप्रसाद पुत्र नन्हक्कऊ निवासी मो0 खागा थाना मौरावा जनपद उन्नाव उम्र करीब 50 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सियाराम चौरसिया

2.हे0का0 सर्वेश कुमार

!!अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार!!

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.05.2026 को गोविन्द चौहान पुत्र मगरू चौहान नि0 लठिया थाना दरुनहा जनपद भदोही की तहरीर पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 241/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 01.विमलेश पासी उम्र करीब 37 वर्ष 02. विमल पासी उम्र करीब 38 वर्ष पुत्रगण नन्हू नि0गण बाबाखेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया तथा थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा अभियुक्त विमलेश पासी पुत्र नन्हू निवासी बाबाखेडा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को एक अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद कर गोकुल गेस्ट हाऊस से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विमलेश पासी पुत्र नन्हू निवासी बाबाखेडा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी-

01 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1.मु0अ0सं0 223/20215 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव

2.मु0अ0सं0 03/2019 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव

3.मु0अ0सं0 300/2022 धारा 143/147/148/336/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव

4.मु0अ0सं0 308/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव

5.मु0अ0सं0 607/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना गंगाघाट उन्नाव

6.मु0अ0सं0 171/2025 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गंगाघाट उन्नाव

7.मु0अ0सं0 337/2025 धारा 115(2)/351(3)/352/333 बीएनएस थाना गंगाघाट उन्नाव
8.मु0अ0सं0 666/2025 धारा 109/115(2)/117(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना गंगाघाट उन्नाव
9.मु0अ0सं0 1083/2019 धारा 147/148/149/307/352/336/504 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
10.मु0अ0सं0 1086/2019 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव
11.मु0अ0सं0 566/2025 धारा 110/115(2)/118(1)/191(2)/351(3)/352 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
12.मु0अ0स0 241/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस व 3/25 आर्सम एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री मूल चन्द्र पाठक
2.हे0का0 रविशंकर पाठक
3.का0 नितिन चौधरी

प्रेस नोट - दिनांक 10.05.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

बाल अपचारी को चोरी के माल सहित पुलिस संरक्षण में लिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को चोरी के माल सहित पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.05.2026 को थाना कोतवाली सदर पर वादिनी अनन्या पत्नी सूरज कुमार नि0 694 ए०बी०नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के घर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 268/2026 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना आज दिनांक 10.05.2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हुसैन नगर चौराहे के पास कासिम नगर पावर हाउस के पास से एक बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया। जिसके कब्जे से चोरी के माल पीली धातु 01 अदद कील नाक 0.024 मि0ग्रा0 1 चोटी बंद सफेद धातु 62.74 ग्राम 1 जूडा पर लगाने वाला सफेद धातु 17.14 ग्राम 12 अदद बिछिया 16.61 ग्राम 1 जोड़ी पायल सफेद धातु 51.19 ग्राम कुल जेवरात 147.90 ग्राम की बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। बाल अपचारी को नियमानुसार बाल सुधार गृह भेजा गया।

बरामदगी-

पीली धातु 01 अदद कील नाक 0.024 मि0ग्रा0

1 चोटी बंद सफेद धातु 62.74 ग्राम,

1 जूड़ा पर लगाने वाला सफेद धातु 17.14 ग्राम

12 अदद बिछिया 16.61 ग्राम

1 जोड़ी पायल सफेद धातु 51.19 ग्राम कुल जेवरात 147.90 ग्राम

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 363/2022 घारा 380/457/411 थाना कोतवाली सदर उन्नाव।

<u>पुलिस टीमः-</u>

1.प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र

2.उ0नि0 उग्रसेन सिंह

3.हे0का0 रामदेव प्रजापति

4. का0 अमित कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 10.05.2026

03 घण्टो के अन्दर पुलिस ने अपहर्ता को किया बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा 03 घण्टो के अन्दर पुलिस द्वारा अपहर्ता को बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 15.15 बजे अभिमन्यु यादव पुत्र स्व0 भागीरथ यादव नि0 दुबराखेडा मजरा मरोई थाना अचलगंज उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर अपनी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा बडी पुत्री को गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 110/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3) बीएनएस बनाम अनूप यादव पुत्र सूर्यपाल यादव व अनूप की बहन पूजा निवासीगण मदारीखेडा थाना असोहा जनपद उन्नाव पंजीकृत कराया था । जिसमे थाना अचलगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अथक प्रयासो से 03 घण्टे के अन्दर अपहृता प्रिया यादव उर्फ चांदनी पुत्र अभिमन्यु यादव को मनोकामना मन्दिर बाबाखेडा के पास सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ऋषि कपूर
2.का0 रामकुमार
3.म0आ0 स्नेहलता